

V-268  
8/3/2024



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2024/डी-562

दिनांक 6-03-2024

## विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	743	महावीर नगर	श्री अमित जैन पुत्र श्री ए.पी. जैन	श्रीमती पुष्पा जैन पत्नी श्री अरिहन्त प्रकाश जैन	मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2023, वसीयतनामा दिनांक 31.01.2017, पट्टा, साईट प्लान आदि।
2	67	विप्र विहार	श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री राजेश	श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री बैजनाथ शर्मा	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 16.09.2002, सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र दिनांक 05.01.1991, रसीद, साईट प्लान आदि।

  
06/03/24

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

### प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।



उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2024/डी- 561

दिनांक 5-03-2024

## विज्ञप्ति / सूचना

आवेदिका द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदिका के पक्ष में लीजहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सर्वे नं. 965	मनोहरपुरा कच्ची बस्ती	श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व. श्री रामदयाल मौय	श्री रामदयाल पुत्र श्री देवाराम एवं श्रीमती शारदा पत्नी राम दयाल	आवंटन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर।


प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



आजादी का  
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2024/डी-430


दिनांक:- 4/3/24

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-


क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1	8 (पूर्वी भाग)	88.85 वर्गमीटर	श्रीमती मनभर देवी पत्नी श्री हनुमान प्रसाद	जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति	सरदार सिंह नगर	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, पारिवारिक समझौता पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर लीजडीड जारी करने बाबत।
2	8 (पश्चिमी भाग)	88.85 वर्गमीटर	श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री नन्द लाल वर्मा	जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति	सरदार सिंह नगर	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, पारिवारिक समझौता पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर लीजडीड जारी करने बाबत।
3	जी-296	180.00 वर्गमीटर	श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नी स्व. श्री बी.आर. शर्मा एवं श्री सुनिल कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री बी.आर. शर्मा	जविप्रा	कल्पना नगर	मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान शपथ पत्र की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

  
उपायुक्त, जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

  
उपायुक्त, जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2024/डी-507

दिनांक 5/3/24

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री पवन सिंह चौहान पुत्र श्री सुमेर सिंह चौहान	श्रीमती विमला देवी चौहान पत्नी श्री सुमेर सिंह चौहान	एस-139	18 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम खटवाडा	नाम हस्तांतरण / लीज हो-होल्ड से फी-होल्ड लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा / सजरा प्रमाण पत्र

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

उपायुक्त जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।  
क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी- 223

दिनांक- 6/3/2024

-:सार्वजनिक सूचना:-

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	लीला राम शर्मा/रामस्वरूप शर्मा (मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-5ई हनुमान नगर)	ई-127	530.33
2	ममता मीना/रामकरण मीना (श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-रूप सागर)	1बी	101.33
3	रेखा सांखला/गोपाल सिंह (श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-सुमन विहार)	105	394.66
4	ममता मीना/रामकरण (श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-रूप सागर)	42	110
5	ब्रम्हनारायण माथुर/शिव नारायण माथुर (नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-अमृत विहार)	ए-18 साउथ पार्ट	156.66
6	ब्रम्हनारायण माथुर/शिव नारायण माथुर (नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-अमृत विहार)	ए-18 नार्थ पार्ट	139.59
7	रामचन्द्र चौपडा/रामनारायण चौपडा (दी शिवा को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० की योजना-अयोध्या नगर)	बी-168सी	61.31
8	रेणु शर्मा/ओमप्रकाश शर्मा (भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-मां करणी नगर-ए)	2ए	266

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपस्थित पीआरएन-उत्तर-11  
पी.आर.ए. (उत्तर-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपस्थित पीआरएन-उत्तर-11  
पी.आर.ए. (उत्तर-11)  
जयपुर

**प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक:- LU2012/JDA/2023-24/103297 | 51-440

दिनांक:- 6/3/24

**लोक सूचना**

न्यू पाथ डवलपर्स एलएलपी जरिये डेजीगनेटेड पार्टनर श्रीमती सुमन धाकड पत्नी श्री हिमांशु नागर, कार्यालय पता 508, ओके प्लस टॉवर, के.वी.-5 के पास, मानसरोवर, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-गीला की नांगल तहसील-बस्सी (जयपुर)	न्यू पाथ डवलपर्स एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफिस 508, ओके प्लस टॉवर, के.वी.-5 के पास, मानसरोवर, जयपुर	310 / 227	0.8400
2			312 / 227	0.4404
3			314 / 305	0.1696
4			316 / 307	0.5500
			<b>किता-4</b>	<b>2.00</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।


उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ...6/3/24... को जारी की गयी।

*Sd.*  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. न्यू पाथ डवलपर्स एलएलपी जरिये डेजीगनेटेड पार्टनर श्रीमती सुमन धाकड पत्नी श्री हिमांशु नागर, कार्यालय पता 508, ओके प्लस टॉवर, के.वी.-5 के पास, मानसरोवर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

*Duty*  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक : 06/03/2024

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/103295

## लोक सूचना

श्री रामदयाल पुत्र श्री चुन्नीलाल एवं शान्ति पत्नि श्री चुन्नीलाल निवासी ग्राम गाडौता तहसील गौजमाबाद जिला जयपुर ज.मु.आम श्रवण लाल चौधरी निवासी ग्राम घेंघा तहसील सांगानेर, जयपुर व छोटेलाल पुत्र भीवा ज.मु.आम भगवान सहाय चौधरी ग्राम दहगीरखुर्द तहसील सांगानेर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल हैक्ट.
1.	गाडौता, गौजमाबाद (जयपुर)	रामदयाल पुत्र चुन्नीलाल, शान्ति पत्नि चुन्नीलाल, छोटेलाल पुत्र भीवा	44 705 / 44	0.6800 0.6700
		कुल किता	02	1.3500 हैक्ट.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 06-03-2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर